



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

18 चैत्र, 1944 (श०)

संख्या - 164 राँची, शुक्रवार,

8 अप्रैल, 2022 (ई०)

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

अधिसूचना

2 अप्रैल, 2022

संख्या-15/स्था०-01-18/2019-197(15)--भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल एतद् द्वारा राज्य के वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यक्रम संवर्ग नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2019 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ:-

- (i) संक्षिप्त नाम:-यह नियमावली "वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम संवर्ग नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त, (संशोधन) नियमावली 2022" कही जायेगी।
- (ii) विस्तार:-इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य के वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यालयों पर होगा।
- (iii) प्रभाव की तिथि:- यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम संवर्ग नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली-2019 के नियम 4(v) में निम्नांकित प्रावधान है:-

“इस सेवा के निम्नांकित सृजित पदों पर उनके सामने स्तंभ 5 में अंकित संख्या में सीधी नियुक्ति की जायेगी, जिसका पदवार अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता एवं नियुक्ति की प्रक्रिया निम्न प्रकार से होगी:-

क्रम	पदनाम	वेतमान	अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता	कितने पदों पर सीधी नियुक्ति होगी	नियुक्ति की प्रक्रिया
1	2	3	4	5	6
1	सहायक कीटविज्ञान वेत्ता	पी०बी०-2 (रु 9300-34800) ग्रे0 वेतन-रु 4600	स्नात्कोत्तर जीव विज्ञान (कीटविज्ञान)	50 प्रतिशत पद पर	इस पद पर निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, द्वारा की गई अधियाचित रिक्ति के आलोक में आयोग की अनुशंसा प्राप्त कर की जायेगी ।
2	सहायकवैक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी	पी०बी०-2 (रु 9300-34800) ग्रे0 वेतन-रु 4600	स्नातक (विज्ञान)	50 प्रतिशत पद पर	इस पद पर निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, द्वारा की गई अधियाचित रिक्ति के आलोक में आयोग की अनुशंसा प्राप्त कर की जायेगी ।
3	जीव विज्ञान वेत्ता	पी०बी०-2 (रु 9300-34800) ग्रे0 वेतन-रु 4200	स्नातक (जीव विज्ञान)	शत प्रतिशत पद पर	इस पद पर निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, द्वारा की गई अधियाचित रिक्ति के आलोक में आयोग की अनुशंसा प्राप्त कर की जायेगी ।
4	निरीक्षक (वैक्टर जनित रोग नियंत्रण)	पी०बी०-2 (रु 9300-34800) ग्रे0 वेतन-रु 4200	स्नातक (विज्ञान)	कुल रिक्ति के 50 प्रतिशत पद पर सीधी भर्ती। शेष 50 प्रतिशत पद को स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पद से प्रोन्नति देकर भरा जायेगा।	इस पद पर निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, द्वारा की गई अधियाचित रिक्ति के आलोक में आयोग की अनुशंसा प्राप्त कर की जायेगी ।
5	स्वास्थ्य पर्यवेक्षक	पी०बी०-1 (रु 5200-20200) ग्रे० वेतन-रु 2400	राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2(विज्ञान) परीक्षा उत्तीर्ण	50 प्रतिशत पद पर सीधी भर्ती। शेष 50 प्रतिशत पद को बहुदेशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता पद से प्रोन्नति देकर भरा	आयोग द्वारा 10+2(विज्ञान) पाठ्यक्रम स्तरीय आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अनुशंसा के आलोक में ।

				जायेगा।	
6	बहुदेशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता	पी०बी०-1 (रु 5200-20200) ग्रे० वेतन-रु 1900	राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2(विज्ञान) परीक्षा उत्तीर्ण	कुल रिक्ति के 75 प्रतिशत पद पर सीधी भर्ती। शेष 25 प्रतिशत पद को क्षेत्रीय कार्यकर्ता से प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा।	आयोग द्वारा 10+2(विज्ञान) पाठ्यक्रम स्तरीय आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अनुशंसा के आलोक में।
7	कीट संग्रहकर्ता	पी०बी०-1 (रु 5200-20200) ग्रे० वेतन-रु 1800	राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2(जीव विज्ञान) परीक्षा उत्तीर्ण	शत-प्रतिशत पद	आयोग द्वारा 10+2(जीव विज्ञान) पाठ्यक्रम स्तरीय आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अनुशंसा के आलोक में।
8	क्षेत्रीय कार्यकर्ता	पी०बी०-1 (रु 5200-20200) ग्रे० वेतन-रु 1800	राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण	शत-प्रतिशत पद	आयोग द्वारा मैट्रिक पाठ्यक्रम स्तरीय आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अनुशंसा के आलोक में।

3. उपर्युक्त नियमावली में नियम- 4(vi),4(vii) एवं 4(viii) को निम्नवत अधिष्ठापित किया जाता है-

नियम 4(vi) वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम संवर्ग नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली-2019 के मूल पदों पर नियुक्ति निम्नलिखित कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली के अधीन होगा :-

क्रमांक	पदनाम	परीक्षा संचालन नियमावली
1	सहायक कीट विज्ञान वेत्ता	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन (संशोधन) नियमावली-2021
2	सहायक वैक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन (संशोधन) नियमावली-2021
3	जीव विज्ञान वेत्ता	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन (संशोधन) नियमावली-2021

4	निरीक्षक (वैक्टर जनित रोग नियंत्रण)	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन (संशोधन) नियमावली-2021
5	स्वास्थ्य पर्यवेक्षक	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमिडिएट/10+2 स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली-2021
6	बहुद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमिडिएट/10+2 स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली-2021
7	कीट संग्रहकर्ता	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमिडिएट/10+2 स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली-2021
8	क्षेत्रीय कार्यकर्ता	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक/दसवीं स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली-2021

नियम 4(vii) वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम संवर्ग के पदों पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य योग्यता नियमावली के नियम 4(v) के अनुरूप होगी।

उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमिडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमिडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।

नियम 4(viii) कार्मिक विभाग द्वारा अधिसूचित विभिन्न स्तर के परीक्षा संचालन (संशोधन) नियमावली-2021 के प्रावधानों के आलोक में न्यूनतम अहर्ताक निर्धारित रहेगा।

4. विभागीय संलेख ज्ञापांक 187 (15) दिनांक 26.03.2022 में निहित उपर्युक्त प्रस्ताव को दिनांक 30.03.2022 को आयोजित मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-41 के रूप में सम्मिलित किया गया था जिसे मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत किया गया।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरुण कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।
